भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2650

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम में ग्रामीण गरीबी

2650. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में अत्यधिक ग्रामीण गरीबी या बेरोजगारी दर वाले किन्हीं जिलों की जिला-वार पहचान की है;

(ख) क्या ऐसे जिलों में आजीविका विविधीकरण के लिए विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौशल-संबद्ध ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत कितने लाभार्थी शामिल किए गए हैं; और

(घ) आय सृजन और स्वरोजगार के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): असम राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने असम में कोई ऐसा जिला अभिज्ञात नहीं किया है जहाँ ग्रामीण गरीबी या बेरोजगारी की दर अधिक हो। तथापि, नीति आयोग द्वारा प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में कम निष्पादन के आधार पर सात (7) जिलें नामतः बकसा, बारपेटा, दरंग, ढुबरी, गोआलपारा, हैलाकांडी, और उदालगुड़ी को आकांक्षी जिले के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) पूरे राज्य में विभिन्न आजीविका विविधीकरण उपायों को लागू कर रहा है, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक खेती, मूल्य श्रृंखला विकास, उत्पादक समूहों का गठन और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहन देना शामिल है। इन कार्यकलापों से पूरे

राज्य में बड़ी संख्या में महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को लाभ प्राप्त हुआ है।

राज्य के चयनित क्षेत्रों में विशेष मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं और उद्यम विकास पहलों को भी लागू किया जा रहा है, साथ ही उत्पादक समूहों, समेकित कृषि क्लस्टरों, किसान उत्पादक संगठनों, गाँव स्तर के उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रासंगिक योजनाओं के समन्वय से सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) से (घ): इस मंत्रालय की कौशल-संबंधित ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की सहायता से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करना है। दिनांक 09.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, आरएमटी कार्यक्रम के तहत 3,81,986 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 3,08,330 को प्रमाणित किया गया है। असम राज्य में, 12,914 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 11,819 को प्रमाणित किया गया है।

साइट पर प्रशिक्षण मॉडल के अलावा, एक समानांतर आरएमटी पहल वित्तीय वर्ष 2025-26 से ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से शुरू की गई है, जो आजीविका के अवसरों तक पहुंच को बढाने तथा इसे और अधिक मजबूत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत कार्यरत हैं। दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति अनुसार इस पहल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कुल 8,048 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है और असम राज्य में 207 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत असम राज्य में इसकी स्थापना से लेकर अक्टूबर 2025 तक 86,118 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमे से 53,288 युवाओं को रोजगार में नियोजित किया गया। वहीं, आरएसईटीआई के अंतर्गत 1,89,061 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 1,23,587 युवाओं को रोजगार में स्थापित किया गया है।

राज्य में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एसईसीसी 2011 की सूची और अंतिम रूप से तैयार हुई आवास+ 2018 की सूची को संतृप्त किया गया है, जिसमें कार्यकलाप तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, अर्थात् पीएमएवाई-जी आवासों का प्रावधान, आरएसईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण सहित राजमिस्त्री कौशल प्रशिक्षण और पीएमएवाई-जी से जुड़ा रोजगार सृजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एक आवास के निर्माण से लगभग 201 श्रम दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होता है, जिसमें 56 कुशल, 34 अर्ध-कुशल और 111 अकुशल श्रम-दिवस शामिल हैं।